राजस्थान पर है देश और दुनिया की निगहिं आइए हम मिल कर अपने शहर को रवच्छ और सुंदर बनाएं

सार्वजनिक सन्पतियों को पोस्टर, बैनर, वाल पेंटिंग लगाकर बदरंग न करें

पर व दुकानों पर कचरा पात्र रखें



कूढ़े को कवरा पात्र में डालें

त्नास्टिक थैतियों को कहें अलविदा प्रयोग करें जूट कः थैला कागज, कपड़े का थैला

हमारा संकल्प - स्वच्छ प्रदेश | हमारा ध्येष - हरा-भरा प्रदेश | हमने पाया - सुन्दर प्रदेश



हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी- रवायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार

राजस्थान पर है देश और दुनिया की निगहिं आइए हम मिल कर अपने शहर को रवच्छ और सुंदर बनाएं

• अपने घर के कूड़ं-कचरे को मोहल्ले-कॉलोनी में निर्धारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें।

• सार्वजनिक पाकौं/उद्यानों में गंदगी न फैलाएं।

• कचरा-पात्रं का उपयोग करें।

• घर के आंगन/पोर्च का पानी बाहर सड़क पर न फैलाएं।

निर्माण का मलबा व निर्माण सामग्री सार्वजनिक स्थानों पर न डालें।

• सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुचारू रूप से करने में सहयोग करें।

• गती मोहल्ले में ट्यूब लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।

• सार्वजनिक नलों से पानी न बहने दें।

• बिना सक्षम स्वीकृति के रोड़कट न करें।

• सार्वजनिक सम्पत्तियों को पोस्टर, बैनर, वाल पेंटिंग लगाकर बदरंग न करें। राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारक अधिनियम 2007 के तहत शहरी क्षेत्र में ''सम्पत्ति'' का ''विरूपण'' संज्ञेय अपराघ है।

• प्लास्टिक थैलियों को कहें अलविदा। जूट, कागज, रूपड़े का थैला प्रयोग करें।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की घारा 219, 220, 221, 223 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना कानूनन अपराध है।

हम हैं खच्छता के राजग प्रहरी- रचायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

नए जोश्र और सकत्य के साथ अपने घर-कॉलोनी से करें गुरुआत

राजस्थान पर है देश और दुनिया की निगहें आइए हम मिल कर अपने प्रदेश को रचच्छ और सुंदर बनाएं

• अपने घर के कूड़े-कचरे को मोहल्ले-कॉलोनी में

• कचरा-पात्र का उपयोग करें।

निर्धारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें। • घर के आंगन/पोर्च का पानी बाहर सड़क पर न फैलाएं।

• सार्वजनिक पाकौं/उद्यानों में गंदगी न फैलाएं।

सार्वजनिक नलों से पानी न बहने दें।
 गली मोहल्ले में ट्यूब लाइट खराब

एं। • गली मोहल्ले में ट्यूब लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।

हम हैं स्वच्छता के राजग प्रहरी- रवायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

सभ्य नागरिक की यह पहचान - रखें सफाई का पूरा ध्यान गन्दगी और अतिक्रमण् करने पर जुमाना

कब हो सकता है जुर्माना

बिना सक्षम स्वीकृती के रोड़कट करने पर

कचरा फैलाने पर केरिंग चार्जेज दुकानदारों द्वारा सड़क पर

सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर डाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर केरिंग चार्जेज के रूप में

ट्यवसायियों ज्ञारा सरकारी कर व्यवसाय करने पर जमीन पर अतिक्रमण

प्राइवेट अस्पताल द्वारा आम रास्ते व सड़क पर गन्दगी फैलाने पर

संक्षक पर कचरा कैलाने पर मकःन भें रहने वालों द्वारा

यकान के गंदे वानी का

मॉस की डुकान की गन्दगी सड़क व आम शस्तों में डालकर गंदगी फैलाने पर

निकास सड़क पर करने पर

निजी ट्रेक्टरों ब्राश निर्माण सामग्री व मलबा सरकारी द्वारा गन्दगी फैलाने पर भूमि पर डालने पर

निर्माण सामग्री डालने पर निर्माण का मलबा व

पालतू जानवरों

हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी- 'स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

साजरथान पर है देश और दुनिया की निगहिं

- अपने घर के कूड़े-कचरे को मोहल्ले-कॉलोनी में निर्धारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें।
- सार्वजनिक पार्कौ/उद्यानों में गंदगी न फैलाएं।
 कचरा-पात्र का उपयोग करें।
- घर के आंगन/पोर्च का पानी बाहर सड़क पर न फैलाएं।
- निर्माण का मलबा व निर्माण सामग्री सार्वजनिक स्थानों पर न डालें।
- सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुघारू रूप से करने में सहयोग करें।

- गली मोहल्ले में ट्यूब लाइट खराब होने पर नगर निगम को सूचित करें।
 सार्वजनिक नलों से पानी न बहने दें।
- बिना सक्षम स्वीकृति के रोड़कट न करें।
- सार्वजनिक सम्पत्तियों को पोस्टर, बैनर, वाल पेंटिंग लगाकर बदरंग न करें । राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारक अधिनियम 2007 के तहत शहरी क्षेत्र में ''सम्पत्ति'' का ''विरूपण'' संज्ञेय अपराघ है।

• प्लास्क्रि थैलियों को कहें अलविदा। जूट, कागज, कपड़े का थैला प्रयोग करें।

हम हैं खन्छता के राजग प्रहरी- देवायत्तं शासन विभाग, राजदंशांन सरकार

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 219, 220, 221, 223 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाना कानूनन अपराध है।

पर्यावरण को दें उपहार, पॉलीयीन का करें बहिष्कार

पॉलीयीन की सस्ती येली, पर्यावरण को करती मेली 🎳 अपील : कपड़े, जूट एवं कागज के थैले/थैलियों का उपयोग करें।

आईये अपने रोजमर्रा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें




ार्यावरण को दें उपहार, पॉलीयीन का करें बहिष्कार पॉलीयीन की सस्ती येली, पर्यावरण को करती मेली 💨

आईये अपने रोजमर्रा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें अपील : कपड़े, जूट एवं कागज के थैले/थैलियों का उपयोग करें।



पयोवरण को दें उपहार, पॉलीयीन का करें बहिष्कार पॉलीयीन की सस्ती येली,

आईये अपने रोजमर्रा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें। अपील : कपड़े, जूट एवं कागज के थैले/थैलियों का उपयोग करें। पयोवरण को करती मेली








ार्यावरण को दें उपहार, पॉलीयीन का करें बहिष्कार rentizes Ninch at Ninch at aus 2) पॉलीयीन की सस्ती येली,

आईये अपने रोजमर्रा जीवन में पॉलीथिन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें। अपील : कपड़े, जूट एवं कागज के थैले/थैलियों का उपयोग करें। पर्यावरण को करती मैली





नए जोश और संकल्प के साथ अपने घर-कॉलोनी से करें शुरूआत आइए हम मिलकर अपने शहर को स्वच्छ और सुन्दर बनाएं

• अपने घर के कूड़े-कचरे को मोहल्ले-कॉलोनी में निर्धारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें। • सार्वजनिक नलों से पानी न बहने दें।

• घर के आंगन/पोर्च का पानी बाहर सड़क पर ना फैलाएं।

• सार्वजनिक पाकों में गंदगी ना फैलाएं। कचरा-पात्र का उपयोग करें।

• गली मोहल्ले में टयूब लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।

• सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुचारू रूप से

करने में सहयोग करें।



पर्यावरण को दें उपहार, पॉलीयीन का करें बहिष्कार


पॉलीयीन की सस्ती यैली, पयोवरण को करती मैली



अपील

थैले/थैलियों का उपयोग करें। कपड़े, जूट एवं कागज के







पोस्टर बैनर लगाकर, अपने शहर का स्वरुप न बिगाड

''सम्पत्ति का विरूपण'' संज्ञेय अपस्रध हैं

प्रयम अपराध पर एक वर्ष तक का कारावास

द्वितीय अपराध पर 2 वर्ष तक का कारावास

या ५ से १० हजार रू. तक जुर्माना अथवा दोनो । 🕴 या १० से २० हजार रू. तक जुर्माना अथवा दोनो । कृपया ध्यान दें-वॉल पेन्टिंग करवाने वाली संस्था, एजेन्ट एवं पेन्टर भी इसमें दोषी होंगे।

.हम हैं खन्छता के सजग प्रहरी- 🛛 द्वायत शासन विभाग, राजस्थान सरकार 🗀 🔆 सभ्य नागरिक बने



पर्यावरण को दें उपहार, पॉलीयीन का करें बहिष्कार

पॉलीयीन की सस्ती येली, पयोवरण को करती मैली



थैले/थैलियों का उपयोग करें। कपड़े, जूट एवं कागज के



आईये अपने रोजभर्रा जीवन में पॉलीथीन का त्याग करें व आमजन को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें

ठोस कचरा प्रबन्धन उपविधियां-2005 लागू

रि अतिक्रमण करने पर 100 रू. से 2

आवधान - कब हो सकता है जुर्माना

); (The state of the s		
٧	ान सरकार	हम है स्वष्मता के सजग प्रहरी-	
	2500/- रूपये प्रतिदिन	व्यवसायियों द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर व्यवसाय करने पर	व्यवसायियों द्वारा
	200/- रूपये प्रतिदिन	निजी टेक्टरों द्वारा निर्माण सामग्री व मलबा सरकारी भूमि पर डालने पर	निजी टेक्टरों द्वारा
	100/- रूपये प्रतिदिन	सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर केरिंग चार्जेज के रूप में	सरकारी जमीन पर अति केरिंग चार्जेज के रूप में
	500/- रूपये प्रतिदिन	बिना सक्षम स्वीकृति के रोड कट करने पर	बिना सक्षम स्वीवृ
	200/- रूपये प्रतिदिन	पालतू जानवरों द्वारा गन्दगी फैलाने पर	पालतू जानवरों द्व
	100/- रूपये प्रतिदिन	मकान के गंदे पानी का निकास सड़क पर करने पर	मकान के गंदे पान
	250/- रूपये प्रतिदिन	दुकानदारों द्वारा सड़क पर कचरा फैलाने पर केरिंग चार्जेज	दुकानदारों द्वारा स
	200/- रूपये प्रतिदिन	निर्माण का मलबा व निर्माण सामग्री डालने पर	निर्माण का मलब
	100/- रूपये प्रतिदिन	मकानवासियों द्वारा सड़क पर कचरा कैलाने पर	मकानवासियों द्वा
	500/- रूपये प्रतिदिन	प्राईवेट अस्पताल द्वारा आम रास्ते व सड़क पर गन्दगी फैलाने पर	प्राईवेट अस्पताल
	1000/- रूपये प्रतिदिन	मौंस की दुकान की गन्दगी सड़क व आम रास्तों में डालकर गंदगी फैलाने पर	माँस की दुकान व




मेरा राजस्थान मेरी शान इसको सुन्दरता है पहचान

 अपने घर के कूड़े-कचरे को मोहल्ले-कॉलोनी में निर्घारित स्थल पर कचरा पात्र में डालें।

स्वच्छ राजस्थान,

- घर के आंगन/पोर्च का पानी बाहर सड़क पर ना फैलाएं।
- सार्वजनिक पार्कों में गंदगी ना फैलाएं।
- कचरा-पात्र का उपयोग करें।
- सार्वजनिक नलों से पानी न बहने दें।
- गली मोहल्ले में ट्यूब लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।
 सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुचारू रूप से करने में सहयोग करें।



हमारा संकल्प स्वच्छ जयपुर

हमास ध्येयं हरा-भरा जयपुर

सुन्दरःजयपु

हम है रवच्छता के राजग प्रहरी-रवायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

स्वच्छता अपनाएं-राजस्थान को शान बढ़ाए-सभ्य नागारक कहलाए

- अपने घर∕भतन की स्वच्छता सुनिश्चित करें एवं कचरा मलबा निर्धारित स्थान पर डालें
- अपने घर/दुकान/कार्यालय में कचरा पात्र रखें
- क्ष सार्वजनिक सौचालय /पूत्रालय साफ रखें
 क बस स्टेण्ड /रेल्वे स्टेशनों पर /विद्यालयों/अस्पतालों /सड़कों /गिलयो /पाकों
 ्रबाजारों / सार्व स्थानों /एतिहासिक धरोहरों आदि को साफ रखने में सहयोग दें
- सार्वजीनक स्थानों से कचरा-मलबा व पुराने अनुउपयोगी वाहन हटाएं
- मोहल्ला समिति /विकास समिति आदि की बैठक आयोजित कर स्वच्छता के प्रति सजग रहें व बच्चों को भी स्वच्छता का महत्व समझाएं
- ♦ हर नागरिक प्रतिवर्ष 100 घंटे यानि हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान कर स्वच्छ्ता अभियान में सहभागी बनें

गली सड़क या घर-आंगन, स्वच्छता बने जन-आन्दोलन

हम हैं स्वच्छता के सजग प्रहरी- स्वायत्त शासन विभाग, राजदंशान सरकार '÷'



अपने ड्रॉइंग रूम में पसंद करेंगे? क्या आप इसे



तो अपने शहर की सड़कों पर क्यों?

आओ अपने प्रदेश को बेहतर बनाऐं रवच्छता अपनाए

सभ्य नागरिक को कर्तव्य निभाएं अपने शहर को स्वच्छ-सुन्दर बनाएं।



शहर में गंदगी न फैलाएं, खुद समझें औरों को भी समझाएं.

- कचरा हमेशा क्र्डेदान में डालें
- गली-मोहल्ले, कॉलोनियों के कोनों • सड़क, बगीचे और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्त्रच्छता का ध्यान रखें
- साफ-सफाई का स्वयं ख्याल रखें पर कचरे का देर न लगायें औरों को भी समझाएं



हम हैं खच्छता के संजग प्रहरी- स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार

आओं मिलकर निभाएं जिम्मेदारी - सुन्दर रहे गुलाबी नगरी हमारी

ध्यान देवें-

- अपने घर/ प्रतिष्ठान के कूड़े-कचरे को निर्धारित स्थल पर प्रातः 11 बजे तक कचरा पात्र में डालें।
- घर के आंगन/पोर्च का पानी बाहर सड़क पर ना फैलाएं।
- सार्वजनिक पाकों में गंदगी ना फैलाएं।
- कचरा फैलाने पर प्रतिदिन केरिंग चार्ज लगेगा।
- पालतू जानवरों को सड़क व सार्वजनिक स्थलों पर ना छोड़ें।



प्लास्टिक थेलियों को कहें अलविदा प्रयोग करें जूट का थेला कागज, कपड़े का थेला



कूड़े को कचरा पात्र में डालें



पर्यावरण को सुधारें। एक वृक्ष आवश्यक रूप से लगाए

- भवन निर्माण सामग्री/मलबा सार्वजनिक स्थलों पर ना डालें।
- सार्वजिनक सम्पित्तियों पर बैनर, पोस्टर, हेण्डिबल चिपकाकर विरूपण ना करें। ऐसा करना दण्डिनीय अपराध है।
- गली मोहल्ले में टयूब लाइट खराब होने पर विभाग को सूचित करें।
- सफाई कर्मियों को उनका कार्य सुचारू रूप से करने में सहयोग करें।

शहर में गंदगी न फैलाएं, खुद समझें औरों को भी समझाएं.



